संख्या- 155/78-1-2018-25/2012

अपर मुख्य सचिव
06/02/18

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी,
लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी,2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के अध्याय 4, प्रस्तर संख्या 4.1, 4.2 तथा अध्याय 5 के प्रस्तर संख्या 5.7 एवँ 5.8, प्रस्तर संख्या 6.2, 6.6 तथा 6.7 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के अध्याय 4, प्रस्तर संख्या 4.1, 4.2 तथा अध्याय 5 के प्रस्तर संख्या 5.7 एवँ 5.8, प्रस्तर संख्या 6.2, 6.6 तथा 6.7 में क्रमशः निम्नवत् व्यवस्था है:-

4. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अवस्थापना विकास

अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना जैसी उत्कृष्ट सू०प्रौ० अवस्थापनाओं का सृजन और उन्नयन ताकि सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा इकाइयों हेतु 'रेडी टू मूव इन' अवस्थापना सुविधाओं पर बल दिया जा सके। प्रदेश में आईटी इकाइयों के निर्माण 3 धार को सुविधाप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स (6 मॉडल) हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4.1 आईटी पार्क्स की स्थापना हेतु विकास-मॉडल

- विकास एजेन्सी द्वारा स्वयं के स्रोतों से आईटी पार्क का निर्माण कराया जायेगा।
- विकास एजेंसी द्वारा आई०टी० पार्क का विकास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया(एस.टी.पी.आई.)के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क (एस.टी.पी.) योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है।
- विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी पार्क का विकास निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पी.पी.पी.) से डिजाइन, बिल्ट, फाइनेन्स, ऑपरेट एण्ड ट्रांन्सफर (डी.बी.एफ.ओ.टी) के आधार पर किया जा सकता है।

- आईटी पार्क की रूपरेखा, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन तथा रख-रखाव के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा निजी सहयोगी के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्यम अथवा एस.पी.वी. स्थापित किया जा सकता है।
- प्रतिष्ठित राजकीय संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम और समकक्ष राजकीय संस्थान के सहयोग से
- निष्पक्ष चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित, निजी क्षेत्र के निवेशको/विकासकर्ता के सहयोग से

4.2 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर)

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग (ईएचएम) उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र नीति-2008 (ITIR Policy-2008) अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएगी। सम्प्रति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रसवे के किनारे आईटीआईआर की स्थापना प्रस्तावित है।

5.7 डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ परिवेश के निर्माण हेतु प्रत्येक वर्ष "डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन" आयोजित किया जायेगा। यह आयोजन प्रदेश में डिजिटल ईकोसिस्टम के निर्माण हेतु विभिन्न हितधारकों के मध्य संवाद, विचार-विमर्श तथा सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश स्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उ0प्र0 सरकार द्वारा डिजिटल उत्तर प्रदेश सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.8 पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0 ौ0 जनित सेवा क्षेत्र की इकाईयों को नोडल संस्थान द्वारा पंजीकरण हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगे। उक्त प्रमाण पत्र नोडल संस्थान/नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा परीक्षणोंपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इकाईयों को नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन शीघ्र मिल सके।

6.2 उत्कृष्टता के केन्द्र

- राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centers of Excellence) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। उत्कृष्टता के केन्द्र शोध एवं अनुसंधान के अनुकरणीय मानदण्डों तथा इन्क्यूबेशन के अनुभव से युक्त, एवं परिपक्व होंगे तथा उद्यमिता के पोषण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- उत्कृष्टता के केन्द्रों द्वारा केन्द्र-बिन्दु के क्षेत्रों (focus areas) जैसेकि बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इन्टरनेट से जुड़े कार्यो, मशीन-लर्निंग, कृत्रिम बुद्विमता (Artificial Intelligence) साइबर सिक्योरिटी, क्लीन-टेक, एजू-टेक, एग्री-टेक, हेल्थ-टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन-प्राफिट संगठनों/कारपोरेट्स/ उद्योग संघों जैसे मेजबान संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से की जा सकती है।

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उत्कृष्टता के केन्द्र को अधिकतम 5 वर्ष तक अधिकतम रु 10 करोड़ तक आर्थिक सहायता (जिसमें पूंजीगत तथा परिचालन व्यय सम्मिलित है) प्रदान की जायेगी। प्रत्याशा है कि 5 वर्ष की समाप्ति तक उत्कृष्टता का केन्द्र स्व-निर्भर हो जायेगा।
- उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदन पर निर्णय सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा। सरकार द्वारा धनराशि/प्रोत्साहनों का अवमुक्त किया जाना उनके कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

6.6 **उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मेला तथा उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार**

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक त्रैमास स्टार्ट-अप मेला आयोजित किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार/विभागों/अभिकरणों/संगठनों इत्यादि द्वारा इंगित कठिनाइयों (दिन-प्रतिदिन आधार पर आने वाली चुनौतियों) के अभिनव समाधान सुझाने हेतु स्टार्ट-अप्स को आमंत्रित किया जायेगा।
- स्टार्ट-अप मेलों के आयोजन का ध्येय छात्रों और उद्यमियों को देश और प्रदेश की विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है। पुनः इसका उद्देश्य उनमें उद्यमिता की भावना को प्रज्वलित और उसका पोषण करना है।
- चयनित स्टार्ट-अप्स को उत्तर प्रदेश आविष्कार पुरस्कार दिये जायेंगे, साथ ही सम्बन्धित विभाग में, उनके समाधानों के समय-बद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु अधिकतम रू 50 लाख तक का वित्तपोषण किया जायेगा।
- चयनित स्टार्ट-अप के कार्य-सम्पादन का अनुश्रवण एवं आकलन राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों/संगठनों द्वारा नियमित आधार पर किया जायेगा।
- चयनित स्टार्ट-अप्स, उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सहायतित इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों में 2 वर्ष तक निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

6.7 **अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग**

- स्टार्ट-अप वातावरण के सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट-अप चैलेन्जेस, हैकथांन्स, बूट कैम्पस, कार्यशालाओं, बिजनेस प्लान स्पर्द्धाओं, सभाओं/ सम्मेलनों का आयोजन एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभागिता द्वारा तथा ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्टार्ट-अप्स को प्रायोजित करके तथा अन्य विभिन्न साधनों से उत्तर प्रदेश को उद्यमी-मित्रवत् गन्तव्य के रूप में प्रवर्तित किया जायेगा।
- ऐसे मंचों पर प्रतिभा.ग/आयोजन हेतु शासन द्वारा प्रति इकाई अधिकतम रू 50,000/- की प्रायोजन-सहायता प्रदान की जायेगी।
- पुनः स्टार्ट-अप्स,उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों के सामान्य स्थानों जैसेकि सभा-कक्ष, बैठक-कक्ष, शोध एवं विकास सुविधाओं के अधिकारी होंगे। इसको बढ़ावा देने के लिये स्टार्ट-अप्स स्मार्ट कार्ड निर्गत किये जायेंगे।

  टिप्पणीः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति को केन्द्रीय सरकार के अनुरूप रखने के लिए समय-समय पर संशोधन अंगीकृत एवं अधिसूचित किये जायेंगे।

4- प्रदेश में उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centers of Excellence) की स्थापना हेतु पृथक से दिशा-निर्देश निर्गत किए जायेंगे।

5- अतः यूपीएलसी कृपया "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व आदेश संख्या 1158/78-1-2012-128/2012 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तथा आदेश संख्या 597/78-1-2016-63आईटी/2016 दिनांक 20 मई 2016 के प्राविधानों को इस शासनादेश के प्राविधानों के आलोक में पढ़ा जायेगा।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1552(1)78-1-2018-25तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
7 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
9 अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश।
10 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
11 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
13 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडे को/ श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/ अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
15 राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
16 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन ।
17 गार्ड फाइल।

02-02-18
02/02/18

आज्ञा से,

(हरी राम)
सचिव